

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 3481-3576

दिनांक : 21.9.11

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी  
राजस्थान।

विषय :- माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में स्थापित किए जाने वाले चिकित्सा केन्द्रों के सामान्य भण्डारों (जनरल स्टोर्स) के संचालन हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आवंटन।

महोदय

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के बिन्दु सं0 47-48 की अनुपालना में चिकित्सा केन्द्रों के दवा वितरण केन्द्रों हेतु अति आवश्यक औषधियों हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में आयोजना मद के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-1 से 3 अनुसार एवं निम्न निर्देशों के तहत आयोजना मद में राशि रु. 385.10 लाख (अक्षरे राशि तीन करोड़ पचासी लाख दस हजार मात्र) का अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है।

इस बजट का आवंटन राजस्थान मेडिकल सर्विसेस कॉरपोरेशन द्वारा इनके पत्र क्रमांक RMSC/लेखा बजट/2011-12/179 दिनांक 10.08.2011 एवं 16 दिनांक 12.09.2011 के निर्देशानुसार किया जा रहा है। उक्त व्यवस्थाएँ निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

निर्देश :-

1. स्थानीय स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाइयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई में अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता न हो।
2. राज्यादेश क्रमांक : RMSC/मु.पत्रा/2011/211 दिनांक 26.08.2011 के बिन्दु सं0 7 जो कि निम्नानुसार है की पालना की जावे "स्थानीय क्रय (Local Purchase) :- "आकस्मिक परिस्थितियों जैसे महामारी, संक्रामक बीमारियों एवं आपदा आदि की स्थिति या सामान्यतः उपयोग में आने वाली दवा की उपलब्धता न होने की दशा में संबंधित संस्थान प्रभारी उनको आवंटित वार्षिक दवा बजट के 10 प्रतिशत तक की राशि की औषधियां क्रय कर सकेंगे। पर यह दवाइयां भी जेनेरिक नाम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्रय की जा सकेंगी।"
3. प्रत्येक कार्य/सामग्री हेतु आवंटित राशि अनुमान पर आधारित है तथापि इससे अधिक राशि का व्यय नहीं किया जाये तथा यदि सामग्री इससे कम लागत में उपलब्ध होती है तो उतनी ही राशि का व्यय किया जावे पूर्ण आवंटित राशि का नहीं।
4. उपर्युक्त बजट जिस कार्य के लिये आवंटित किया गया है उसी कार्य हेतु नियमानुसार व्यय किया जावे।
5. इस कार्यालय के प्रथम बजट आवंटन पत्र क्रमांक : ए.4(1) लेखा/बीएनपी/11/453 दिनांक 10.05.11 में दिये गये निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करें।
6. समस्त व्यय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण मितव्ययता से किया जाना सुनिश्चित करावे तथा व्यय की सूचना निर्धारित समयावधि में भिजवायें।

संलग्न :- परिशिष्ट 1 से 3 तक

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : ए.4 (1) लेखा/बजट प्लान/11/ 3481-3576

दिनांक : 21.9.11

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक : RMSC/लेखा बजट/2011-12/179 दिनांक 10.08.2011 एवं 16 दिनांक 12.09.2011 के क्रम में प्रेषित है।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवायें, राज0 जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, (जोन)।
4. प्रभारी सर्वर, कृपया इस आवंटन विवरण को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. प्रभारी अंकमिलान शाखा, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

Government of Rajasthan  
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Annexure-1

Additional Budget Allotment for the year 2011-12 (PLan)

2210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवार्य (ऐलोपेथी)

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)-जिला स्तरीय संस्थापन

[01]-क्षेत्रीय एवं जिला स्थापना (आयोजना)

60-भेषज एवं औषधियां

(राशि लाखों में)

क्र.सं	मु0वि0 एवं स्वा0 अधिकारी	डिस्पेंसरी		मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र				एडपोस्ट शहरी		उप स्वास्थ्य केन्द्र		कुल आवंटित राशि (60-D&M)
		सं0	राशि	सं0	राशि	ग्रामीण		शहरी		सं0	राशि	सं0	राशि	
1	अजमेर	12	1.20	7	0.35	43	2.69	2	0.20	1	0.01	290	1.45	5.90
2	अलवर	5	0.50	4	0.20	70	4.38	2	0.20	0	0.00	576	2.88	8.16
3	बांरा	2	0.20	0	0.00	36	2.25	0	0.00	0	0.00	206	1.03	3.48
4	बांसवाडा	6	0.60	1	0.05	41	2.56	1	0.10	0	0.00	401	2.01	5.32
5	बाडमेर	3	0.30	3	0.15	61	3.81	0	0.00	0	0.00	546	2.73	6.99
6	भरतपुर	4	0.40	3	0.15	57	3.56	0	0.00	0	0.00	398	1.99	6.09
7	भीलवाडा	7	0.70	2	0.10	63	3.94	1	0.10	1	0.01	415	2.08	6.93
8	बीकानेर	11	1.10	4	0.20	39	2.44	3	0.30	0	0.00	383	1.92	5.96
9	बूंदी	3	0.30	3	0.15	25	1.56	1	0.10	1	0.01	177	0.89	3.01
10	चित्तौडगढ	3	0.30	3	0.15	37	2.31	2	0.20	0	0.00	300	1.50	4.46
11	चुरू	5	0.50	5	0.25	60	3.75	4	0.40	1	0.01	377	1.89	6.80
12	दौसा	1	0.10	3	0.15	28	1.75	0	0.00	0	0.00	237	1.19	3.19
13	धौलपुर	3	0.30	2	0.10	21	1.31	1	0.10	0	0.00	195	0.98	2.79
14	डूंगरपुर	4	0.40	0	0.00	37	2.31	0	0.00	0	0.00	318	1.59	4.30
15	गंगानगर	5	0.50	1	0.05	41	2.56	1	0.10	0	0.00	350	1.75	4.96
16	हनुमानगढ	2	0.20	4	0.20	39	2.44	0	0.00	0	0.00	285	1.43	4.27
17	जयपुर-प्रथम	30	3.00	14	0.70	58	3.63	3	0.30	2	0.01	279	1.40	9.04
18	जयपुर-द्वितीय	9	0.90	3	0.15	30	1.88	6	0.60	0	0.00	246	1.23	4.76
19	जैसलमेर	5	0.50	1	0.05	15	0.94	0	0.00	0	0.00	137	0.69	2.18
20	जालोर	2	0.20	4	0.20	53	3.31	0	0.00	0	0.00	394	1.97	5.68
21	झालावाड	3	0.30	3	0.15	30	1.88	0	0.00	0	0.00	274	1.37	3.70
22	झुन्झुनू	6	0.60	10	0.50	72	4.50	0	0.00	1	0.01	444	2.22	7.83
23	जोधपुर	14	1.40	4	0.20	66	4.13	4	0.40	5	0.03	579	2.90	9.06
24	करौली	3	0.30	1	0.05	25	1.56	0	0.00	0	0.00	256	1.28	3.19
25	कोट	11	1.10	1	0.05	27	1.69	2	0.20	0	0.00	161	0.81	3.85
26	नागोर	3	0.30	7	0.35	89	5.56	0	0.00	1	0.01	678	3.39	9.61
27	पाली	5	0.50	11	0.55	67	4.19	1	0.10	0	0.00	432	2.16	7.50
28	प्रतापगढ़	3	0.30	0	0.00	23	1.44	0	0.00	0	0.00	174	0.87	2.61
29	राजसमंद	1	0.10	0	0.00	36	2.25	1	0.10	0	0.00	219	1.10	3.55
30	सवाई माधोपुर	2	0.20	2	0.10	22	1.38	1	0.10	0	0.00	228	1.14	2.92
31	सीकर	6	0.60	9	0.45	70	4.38	0	0.00	0	0.00	536	2.68	8.11
32	सिरोही	3	0.30	1	0.05	22	1.38	0	0.00	0	0.00	191	0.96	2.69
33	टोंक	6	0.60	2	0.10	45	2.81	0	0.00	0	0.00	250	1.25	4.76
34	उदयपुर	10	1.00	0	0.00	69	4.31	1	0.10	0	0.00	557	2.79	8.20
	कुल योग	198	19.80	118	5.90	1517	94.84	37	3.70	13	0.10	11487	57.51	181.85

(Rs. One crore eighty one lac and eighty five thousand only)

नोट :

1. अंकित राशि स्थानीय स्तर पर दवाईयां क्रय करने के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रति डिस्पेंसरी रु. 0.10 लाख, मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्र (MCWC) हेतु रु. 0.05 लाख, ग्रामीण प्रा0स्वा0 केन्द्र हेतु रु. 0.0625 लाख प्रति, शहरी प्रा0स्वा0 केन्द्र हेतु रु. 0.10 लाख, एडपोस्ट शहरी हेतु रु. 0.005 लाख एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु 0.005 लाख की दर से आवंटन किया गया है।

2. स्थानीय स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाईयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई में अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।

Director (PH)  
Medical & Health Services  
Rajasthan Jaipur

**Additional Budget Allotment for the year 2011-12 (Plan)**

2210.चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें (रेलोपेथी)

196-जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)-जिला स्तरीय संस्थापन

[01]-क्षेत्रीय एवं जिला स्थापना (आयोजना)

80-भेषज एवं औषधियां

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी	No. of Beds								Total CHC's	कुल आवंटित राशि (60-D&M)
		30	Rs. 0.25	50	Rs. 0.50	75	Rs. 0.75	100	Rs. 1.00		
1	अजमेर	9	2.25	1	0.50		0.00	1	1.00	11	3.75
2	अलवर	18	4.50	5	2.50	1	0.75		0.00	24	7.75
3	बांरा	12	3.00	1	0.50	1	0.75		0.00	14	4.25
4	बांसवाडा	5	1.25	4	2.00		0.00		0.00	9	3.25
5	बाडमेर	13	3.25	1	0.50		0.00		0.00	14	3.75
6	भरतपुर	10	2.50	3	1.50		0.00		0.00	13	4.00
7	भीलवाडा	11	2.75	4	2.00	1	0.75		0.00	16	5.50
8	बीकानेर	7	1.75	2	1.00	1	0.75		0.00	10	3.50
9	बूंदी	5	1.25	2	1.00		0.00		0.00	7	2.25
10	चित्तौडगढ	10	2.50	2	1.00	1	0.75	1	1.00	14	5.25
11	चुरु	8	2.00	1	0.50	1	0.75		0.00	10	3.25
12	दौसा	7	1.75	1	0.50		0.00		0.00	8	2.25
13	धौलपुर	5	1.25		0.00	1	0.75		0.00	6	2.00
14	इंगरपुर	9	2.25	1	0.50		0.00		0.00	10	2.75
15	गंगानगर	7	1.75	4	2.00		0.00		0.00	11	3.75
16	हनुमानगढ	5	1.25	4	2.00		0.00		0.00	9	3.25
17	जयपुर-प्रथम	7	1.75	2	1.00	1	0.75		0.00	10	3.50
18	जयपुर-द्वितीय	7	1.75	1	0.50		0.00		0.00	8	2.25
19	जैसलमेर	5	1.25	1	0.50		0.00		0.00	6	1.75
20	जालोर	6	1.50	1	0.50	1	0.75		0.00	8	2.75
21	झालावाड	9	2.25	3	1.50	2	1.50		0.00	14	5.25
22	झुण्डू	10	2.50	3	1.50		0.00		0.00	13	4.00
23	जोधपुर	12	3.00	2	1.00	1	0.75		0.00	15	4.75
24	करौली	5	1.25	1	0.50	1	0.75		0.00	7	2.50
25	कोटा	8	2.00	1	0.50		0.00		0.00	9	2.50
26	नागौर	12	3.00	5	2.50		0.00		0.00	17	5.50
27	पाली	12	3.00	2	1.00	1	0.75		0.00	15	4.75
28	प्रतापगढ	6	1.50		0.00		0.00		0.00	6	1.50
29	राजसमंद	4	1.00	2	1.00	1	0.75		0.00	7	2.75
30	सवाई माधोपुर	3	0.75	1	0.50		0.00		0.00	4	1.25
31	सीकर	14	3.50	2	1.00	1	0.75		0.00	17	5.25
32	सिरोही	4	1.00	2	1.00		0.00		0.00	6	2.00
33	टोंक	4	1.00	2	1.00	1	0.75		0.00	7	2.75
34	उदयपुर	17	4.25	2	1.00	1	0.75	1	1.00	21	7.00
	कुल योग	286	71.50	69	34.50	18	13.50	3	3.00	376	122.50

(Rs. One crore twenty two lac and fifty thousand only)

नोट :

1. अंकित राशि स्थानीय स्तर पर दवाईयां क्रय करने के उपयोग में लिये जाने हेतु प्रति सा0स्वा0 केन्द्र 30 बेड 0.25 लाख, 50 बेड हेतु 0.50 लाख, 75 बेड हेतु 0.75 लाख एवं 100 बेड हेतु 1.00 की दर से आवंटन किया गया है।

2. स्थानीय स्तर पर उपयोग में ली जाने वाली दवाईयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई में अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।

Director (PH)  
Medical & Health Services  
Rajasthan Jaipur

Government of Rajasthan  
Directorate of Medical & Health Services Rajasthan, Jaipur

Additional Budget Allotment 2210-01-110-(03)-[01] GH 60 D&M for the year 2011-12 (Plan)

(Rs. in lacs)

S. No.	Name of PMO	Alloted Amount
1	Beawar (Ajmer)	3.00
2	Sate. (Ajmer)	0.50
3	Nasirabad (Ajmer)	0.75
4	Kishangarh (Ajmer)	0.75
5	Alwar	3.00
6	Baran	3.00
7	Banswara	3.00
8	Barmer	2.00
9	Balotara (Barmer)	0.75
10	Bharatpur	3.00
11	Bhilwara	4.00
12	Sate. Shahpura (Bhilwara)	0.75
13	Sate. Bikaner	1.00
14	Bundi	3.00
15	Chittorgarh	3.00
16	Churu	2.00
17	Ratangarh (Churu)	0.75
18	Sujangarh (Churu)	0.75
19	Dausa	1.50
20	Dholpur	3.00
21	Dungarpur	3.00
22	Sagwara (Dungarpur)	0.75
23	Ganganagar	3.00
24	Hanumangarh	1.50
25	HBK (Jaipur)	1.50
26	Kotputli (Jaipur)	0.75
27	Sate. Hosp. Sethi Colony (Jaipur)	0.75
28	Sate. Banipark (Jaipur)	0.75
29	Jaipuriya Hosp (Jaipur)	0.75
30	Jaisalmer	1.50
31	Jalore	1.50
32	Jhunjhunu	1.50
33	Sate. Paota (Jodhpur)	1.00
34	Sate. Mandore (Jodhpur)	0.75
35	Karauli	2.00
36	Nagaur	1.50
37	Deedwana (Nagaur)	0.75
38	Ladnu (Nagaur)	0.75
39	Pali	3.00
40	Sojatcity (Pali)	0.75
41	Pratapgarh	1.50
42	Rajsamand	1.50
43	Nathdwara (Rajsamand)	0.75
44	S. Madhopur	2.00
45	Sikar	3.00
46	Sirohi	1.50
47	Tonk	2.00
48	Sate. Chandpole (Udaipur)	0.50
49	Hiranmagri (Udaipur)	0.75
	<b>Total</b>	<b>80.75</b>

(Rs. Eighty lac and serventy five thousand only)

नोट :

1. अंकित राशि स्थानीय स्तर पर दवाईयां क्रय करने के उपयोग मे लिये जाने हेतु प्रति 50 बेड हॉस्पिटल 0.50 लाख, 100 बेड हॉस्पिटल 1.00 लाख, 150 बेड हॉस्पिटल 1.50 लाख, 200-225 बेड हॉस्पिटल 2.00 लाख, 300-350 बेड हॉस्पिटल 3.00 लाख एवं 400 बेड हॉस्पिटल 4.00 लाख एवं सेटेलाईट एवं उप जिला स्तरीय हॉस्पिटल को 0.75 लाख की दर से आवंटन किया गया है।

2. स्थानीय स्तर पर उपयोग मे ली जाने वाली दवाईयों के क्रय हेतु एक ही प्रकार की दवाई मे अन्य जिलों की खरीद दर से भिन्नता नहीं होना सुनिश्चित किया जाये।

Director (PH)  
Medical & Health Services  
Rajasthan Jaipur